न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

वाद संख्या — 93/2018

राजस्थान सरकार जरिये तहसील पीसागंन जिला अजमेर ...वादी

बनाम

श्री नरेन्द्र मेवाडा पुत्र श्री सूरजमल जी मेवाडा निवासी बी–30, रीको आवासीय कॉलोनी ब्यावर जिला अजमेर

..... प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री किशनाराम – सरकार पेरोकार

श्री खीवराज शर्मा – अभिभाष प्रतिवादी

–: निर्णय :– दिनांक 13.10.2020

संक्षिप्त में वाद में तथ्य इस प्रकार है कि सरकार पेरोकार ने यह वादपत्र दिनांक 31.10.2018 को अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रतिवादी के विरूद्व इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम बिडकिच्यावास तहसील पीसागंन के खसरा संख्या 5669 रकबा 2.30 हैक्टर की आराजी प्रतिवादी की खातेदारी की आराजी है । प्रतिवादी बिना किसी सक्षम अधिकारी के अनुमति के तथा बिना संपरिवर्तन कराये 76 X 15 वर्ग मीटर की पोल्ट्री फार्म की तीन पक्की संरचनाओं के निर्माण करके अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कर लिया है। जिससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। अतः उक्त भूमि को राजकीय घोषित कर कब्जा राज लेने के आदेश प्रदान करने की कृपा करावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी ने जरिये अभिभाषक के अपने प्रत्युत्तर में निवेदन किया कि कुक्कुट पालन का कार्य प्रतिवादी द्वारा सन 2013 में प्रारंभ किया साथ ही कृषि , शेड नेट (पोली हाउस), गौपालन , वानिकी कार्य प्रारंभ किया । राजस्थान टिनेंशी एक्ट 1955 में पृष्ठ संख्या 13 में कम संख्या (2) से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि पशुपालन , दुग्ध शाला , कुक्कुट पालन तथा वन विकास कृषि कार्य में सम्मिलित है । प्रतिवादी द्वारा उक्त कुक्कुट पालन व्यवसाय हेतु विद्युत कनेक्शन ले रखा है जिसमें विद्युत विभाग द्वारा मौके इत्यादि संबंधि चांज कर किया गया। उक्त आराजी का कभी भी अकृषि कार्य हेतु उपयोग नहीं किया गया है। अतः वाद झूठा एंव गलत पेश करने के कारण वादी का वाद उत्तरकर्ता प्रतिवादी के विरूद्व मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे।

मैनें उभयपक्ष की बहस सुनी । चुकिं कुक्कुट पालन का कार्य कृषि कार्य की श्रैणी में आता है अतः वादी का वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है । प्रतिवादी को निर्देशित किया जाता है कि वह कृषि आराजी में अकृषि कार्य नहीं करें।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.02.12 17:02:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर पीसागंन